an>

Title : Need to regularise the services of Aanganwadi workers as Group 'D' employees and also give them adequate wages and allowances and social security benefits as applicable to Group 'D' employees.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) ः वर्ष 1975 में भारत सरकार ने समेकित बाल विकास निधि (आई.सी.डी.एस.) योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पोषणीय एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु, रूग्णता, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने के मामलों की संख्या में कमी लाना आदि प्रमुख हैं। इस योजना के अंतर्गत समेकित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि पूरक पोषण, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, रैफरल सेवाएं, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रमुख काम करने वाले लोगों में एक हैं-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के कार्यों की सूची बहुत लम्बी है। इनके प्रमुख कार्य हैं- सभी 6 साल तक के बच्चों का टीकाकरण, सभी गर्भवती माताओं के लिए टीकाकरण, बच्चों के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिलाओं का चेक-अप करवाना, गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व एवं बाद की देखभाल करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल पूर्व गतिविधियों को व्यवस्थित करने के साथ आंगनबाड़ी का संचालन करना। 1000 लोगों की आबादी पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होता है। वर्तमान में तेरह लाख से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र देश में चल रहे हैं और इन केन्द्रों पर लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की कुपोषण, भुखमरी, उच्च शिशु मृत्यु दर, स्वच्छता की कमी, बीमारियां, शिक्षा का अभाव आदि समस्याओं के निदान के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आई.सी.डी.एस. दुनिया की सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है।

आंगनबाड़ी कर्मचारियों द्वारा बहुत ही कम मानदेय पर काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी नहीं माना गया है और न ही सरकारी कर्मचारियों की भाँति वेतन, भत्ता एवं अन्य लाभ दिया जाता है। इन्हें पेंशन, चिकित्सा सुविधा, अनुकम्पा नियुक्तियाँ, महंगाई भत्ता आदि कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। संसद में लोकसभा की महिला सशक्तिकरण समिति ने पन्द्रहवीं लोकसभा में 8वीं रिपोर्ट, अगस्त 2011 में "आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कार्य स्थिति " विषय के साथ रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कुल सोलह सिफारिशें सरकार से की गई थी, परंतु अभी तक सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं।

अतः मेरी भारत सरकार से माँग है कि आँगनबाड़ी कर्मचारियों को कम-से-कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानकर इसके अनुरूप मूल वेतन, भत्ता, चिकित्सा सुविधा, पेंशन एवं अन्य लाभ आदि प्रदान किए जाएं। साथ ही सरकार संसदीय समिति 8वीं रिपोर्ट अगस्त, 2011 की शेष बची सिफारिशों को लागू करे।